

कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०- M 29 / 2019

धारा-107 द०प्र०सं०

आपराध सरकार बनाम हरिचरण महतो कां०

आदेश की क्रम सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
---------------------------	---------------------------------	---


अभिलेख सं०-एम 29 / 2019, में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी राहे ओ० पी० के अप्राथमिकी सं०-06/19 दिनांक-27/03/19 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि लोक सभा चुनाव को लेकर राहे ओ० पी० दैनिक सं० 11/19 दिनांक 27/03/19

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उरारो/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 05/04/19 को उपस्थापित करें।
लेखापित एवं सशोधित।


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित

519

अभिलेख उपर्युक्त 1 दिनांक पर क्रमांक 01, 02, 04 उपर्युक्त क्रमांक 03, 05 काधिकतम धरती / लोक सेवा आयोग 2019 शक्ति धर्म रूप से सम्पन्न हो गया है अतः बाद में अभिलेख की काप्य वन्दे की जाती है


25/05/19